

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-: शुद्धि-पत्र :-

राँची, दिनांक- 20/03/2026 ई०।

संख्या- 06/गृ०(का०)आधु०-29/2025 - 1826 / स्वीकृत्यादेश सं०-442, दिनांक 16.01.2026 की कंडिका-5 तथा आवंटनादेश संख्या-142, दिनांक- 16.02.2026 की कंडिका-3 में अंकित "आवंटित राशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से " के स्थान पर "आवंटित राशि को बुक ट्रांसफर अथवा निकासी कर Bank Draft / Payee ID के माध्यम से" पढ़ा जाय।

2. यह संशोधन पू० सिंहभूम, जमशेदपुर के स्वीकृत योजना पर प्रभावी होगा।
3. उक्त स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।


ह०/-

(वंदना दादेल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 06/गृ०(का०)आधु०-29/2025 - 1826 / राँची, दिनांक- 20/03/2026 ई०।

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/काराधीक्षक, उप कारा, घाटशिला/कोषागार पदाधिकारी, जिला/उप कोषागार, जमशेदपुर/घाटशिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20.3.26

सरकार के अपर मुख्य सचिव।